# विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट-बढ़ के जोखिम से रक्षा योजनाएँ

### >> विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ जोखिम सुरक्षा का उद्‌देश्य क्या है ?

विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट-बढ़ के जोखिम से रक्षा का उद्‌देश्य पूंजीगत वस्तुओं के निर्यातकों, सिविल इंजीनियरी के संविदाकारों और परामर्शदाताओं को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करना है क्यों कि उन्हें अपने निर्यातों, निर्माण कार्यों अथवा सेवाओं के लिए भुगतान अवसर कई वर्षों की अवधि में प्राप्त होता है । जब ये भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने होते हैं तो इनके संबंध में विदेशी मुद्रा में होनेवाली घट-बढ़ का जोखिम बना रहता है और वायदा विदेशी मुद्रा बाजार ऐसे आस्थगित भुगतानों के लिए रक्षा प्रदान नहीं करता ।

### >> विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ जोखिम सुरक्षा की शर्तें क्या है ?

विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट-बढ़ के जोखिम से रक्षा १२ महीने या उससे अधिक अवधि वाले और अधिकतम १५ वर्ष की अवधि तक वाले भुगतान कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है । यह रक्षा बोली की तारीख से लेकर अंतिम किस्त तक प्राप्त की जा सकती है । बोली के समय निर्यातक / संविदाकार, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट-बढ़ के जोखिम (बोली) से रक्षा प्राप्त कर सकता है । रक्षा का आधार तय की गई 'हवाला दर' (रेफरेंस रेट) होगी । 'हवाला दर' बोली की तारीख को प्रचलित दर या उसके निकट की कोई दर हो सकती है । रक्षा शुरु में १२ महीने की अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यदि आवश्यक हो तो उसे बढ़ाया जा सकता है । यदि बोली मंजूर हो जाती है तो निर्यातक / संविदाकार को संविदा के अंतर्गत देय सभी अदायगियों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट-बढ़ (संविदा) रक्षा प्राप्त करनी चाहिए । संविदा की रक्षा के लिए हवाला दर निर्यातक संविदाकार के विकल्प पर बोली की रक्षा के लिए प्रयुक्त हवाला दर या संविदा की तारीख को प्रचलित दर होगी । यदि बोली सफल नहीं होती है तो निर्यातक / संविदाकार द्‌वारा अदा किए गए प्रीमियम में से ७५% राशि उसे वापस कर दी जाती है ।

### >> क्या बोली सफल होने के बाद विदेशी मुद्रा घट-बढ़ सुरक्षा प्राप्त करना संभव है ? यदि हाँ तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

हाँ । विदेशी मुद्रा विनिमय दर में घट-बढ़ जोखिम (संविदा) रक्षा तब जारी की जा सकती है जब संविदा के अंतर्गत अदायगियाँ संविदा की तारीख से १२ महीने से अधिक अवधि में प्राप्त होनी हों, परंतु ऐसे मामलों में १२ महीनों के अंदर अदा की जानेवाली किस्तों के लिए भी रक्षा प्राप्त होगी । संविदा के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली सभी राशियों के लिए रक्षा उपलब्ध होगी, चाहे वह वस्तुओं या सेवाओं या ब्याज की अदायगी हो या

कोई अन्य अदायगी । खरीदार ऋण और ऋण व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाली संविदाएँ भी इन योजनाओं के अंतर्गत रक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

**>> विदेशी मुद्रा घट-बढ़ जोखिम सुरक्षा के अंतर्गत संरक्षित मुद्राएँ कौनसी हैं ?**

इन योजनाओं के अधीन अमरीकी डॉलर, पाऊंड स्टर्लिंग, डयूश मार्क, जापानी येन, फ्रेंच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम और ऑस्ट्रेलियन डॉलन में विनिर्दिष्ट अदायगियों के लिए भी रक्षा उपलब्ध है । परंतु ईसीजीसी अपने विवेक से अन्य परिवर्तनीय मुद्राओं में विनिर्दिष्ट अदायगियों के लिए भी रक्षा उपलब्ध कर सकता है ।

**>> विदेशी मुद्रा विनिमय दर में हुए लाभ अथवा हानि को कौन प्राप्त / वहन करता है ?**

रक्षा की संविदा के अनुसार निर्यातक से हवाला दर के २% तक की सीमा में होने वाला हानि या लाभ निर्यातक के खाते में जाएगा । यदि हानि २% से अधिक हो तो २% से अधिक होनेवाली हानि के अंश की पूर्ति निगम करेगा, परंतु यह हवाला दर के ३५% से अधिक के लिए नहीं होगी । दूसरे शब्दों में, २% तक और ३५% से अधिक होनेवाला हानि / लाभ की निर्यातक के खाते में होगी । यदि होनेवाला लाभ हवाला दर के २% से अधिक और ३५% तक हो तो उसे निगम को सौंप देना होगा ।

**>> लागू प्रीमियम दरें क्या हैं ?**

बोली रक्षा के लिए प्रीमियम की दर प्रति १००/- रुपये पर ४० पैसे प्रतिवर्ष अथवा प्रति १००/- रुपये पर १० पैसे प्रति तिमाही है । पूरा प्रीमियम पॉलिसी जारी करने के समय देना होता है । संविदा रक्षा के लिए भी प्रीमियम प्रति १००/- रुपये पर ४० पैसे प्रतिवर्ष की दर से देय होता है । कुल देय प्रीमियम के १०% तथा पहले दो वर्षों के लिए देय प्रीमियम इस प्रकार अदा करना होगा कि अगले दो वर्षों के लिए देय प्रीमियम निगम को हमेशा अग्रिम तौर पर ही अदा किया हो ।

विनिमय दर घट-बढ़ जोखिम रक्षा सामान्यतया उचित ऋण बीमा रक्षा के साथ प्रदान की जाएगी । तथापि, स्वतंत्र रक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी है परन्तु इसके लिए २०% प्रीमियम अधिक लगेगा ।

योजना पर किसी और स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।